तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए

एकल–पीठ

श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री अजीत सिंह, अभिभाषक प्रार्थीगण ।
श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक अप्रार्थीगण

आदेश

हस्तगत् निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–84 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14–1–05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

निगरानी प्रार्थना पत्र अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 832 रकबा 0.03 एयर किस्म गैर मुमकिन चाह वाके ग्राम बहरामदा को वर्तमान अप्रार्थीगण के पिता स्व0 श्री प्रेमसिंह के पक्ष में तहसीलदार नदबई ने आदेश दिनांक 21–4–88 द्वारा इस शर्त के साथ नियमन किया कि ग्रामवासियों को पानी पीने के उपयोग में किसी प्रकार की बाधार उत्पन्न नहीं करेंगे। किंतु अप्रार्थीगण द्वारा गैर कानूनी रूपसे उक्त आराजी पर गडडा खोद निर्माण कार्य कर ग्रामवासियों के उक्त चाह के उपयोग में बाधा उत्पन्न करने पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर भरतपुर के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत की गई। जिसे अतिरिक्त जिला कलेक्टर भरतपुर ने अपने आदेश दिनांक 31–12–01 द्वारा स्वीकार कर तहसीलदार नदबई का आदेश दिनांक 21–4–88 निरस्त कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थीगण ने द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 41–1–05 द्वारा स्वीकार कर तहसीलदार नदबई का आदेश बहाल रखा। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उद्धरित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कहा कि विवादित आराजी गैर मुमकिन चाह है

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	जो ग्रामवासियों के सार्वजनिक उपयोग में ली जाती है। उक्त चाह का निर्माण ग्रामवासियों द्वारा काफी वर्षो पूर्व करवाया गया। उक्त चाह का उपयोग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पानी पीने के उपयोग में लिया जाता है। ग्रामीण अन्य कुओं से इन व्यक्तियों को पानी निकालने में एतराज प्रकट करते है। ऐसी स्थिति में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के पानी पीने के लिये इसके अलावा कोई कुआं नहीं है तथा उक्त कुए से ही ग्रामवासियों के पशुओं को पानी पिलाया जाता है जहां खेली वगैरह सब कदीम से मुर्तिब है। तहसीलदार नदबई ने इस शर्त के साथ अप्रार्थी को नियमन किया कि ग्रामवासियों को पानी पीने के उपयोग में किसी प्रकार की बाधार उत्पन्न नहीं करेंगे। किंतु अप्रार्थीगण द्वारा गैर कानूनी रूपसे उक्त आराजी पर गडडा खोद निर्माण कार्य कर ग्रामवासियों के उक्त चाह के उपयोग में बाधा उत्पन्न करने पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर भरतपुर द्वारा तहसीलदार नदबई का आदेश दिनांक 21–4–88 निरस्त किया है। किंतु अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी ने उक्त समस्त तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों को नजरअदांज करते हुये स्वीकार कर तहसीलदार नदबई का निर्णय मनमाने तरीके से बहाल कर दिया। अतः निगरानी स्वीकार की जावे। उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बहस में कहा कि विवादित कुआ पानी पिने के काम में नही आता है और ना ही कोई कोई सिंचाई के काम में लिया जाता है। उक्त कुआ वर्तमान में कुए की शक्ल में नहीं रहा और न ही सार्वजनिक उपयोग में आ रहा है। चूंकि गैर मुमकिन चाह पुख्ता के नियमन हेतु राज0 सरकार के अलग से नियम बनाये हुये है जिन पर धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है। उक्त समस्त तथ्यों को अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने नजरअदांज किया था ऐसी स्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी ने अतिरिक्त जिला	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	कलेक्टर का निर्णय निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है। अतः निगरानी खारिज की जावे। उभय की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकोर्ड के साथ दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का गहनता से अवलोकन व अध्ययन किया। प्रकरण में प्रश्नगत भूमि पर नियमन Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Digging of Wells and Installing of Pumping Sets for Irrigation Purposes) Rules, 1979 की धारा 12 ए के तहत किया गया है। अभिभाषक का कथन है कि उक्त नियमों के तहत दिनांक 6–1–83 को नोटीफिकेशन जारी किया गया जिसमें उपखंड अधिकारी को आवंटन/नियमन हेतु शक्तियां डेलीगेट की गई है। परंतु वर्तमान प्रकरण में तहसीलदार के द्वारा दिनांक 30–5–83 को प्रश्नगत भूमि पर गैर मुमकिन चाह के रूप में अंकित सिवायचक भूमि का नियम प्रेमसिंह के पक्ष में किया गया है। अतः उक्त आदेश सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी नहीं किया गया है। वर्तमान प्रकरण में तहसीलदार द्वारा इस आशय की कोई जांच भी नहीं की गई है कि क्या उक्त कुआं आवंटी की सद्भावी पीने के पानी एवं सिंचाई के पानी की आवश्यकताओं को पूर्ति करना है अथवा नहीं, तथा क्या उक्त नियमन से समीपवर्ती पडोस में रहने वाले व्यक्त्यिों के हित प्रभावित होते है या नहीं। इसके अतिरिक्त नियम (7) के तहत उक्त भूमि का नियमन करते हुये केवल विशिष्ट समयावधि की सीमा पर ही आवंटन हो सकता था। वर्तमान प्रकरण में प्रश्नगत भूमि प्रेमसिंह को पूर्णकालिक रूप से आवंटन कर उसके खाते में दर्ज कर दी गई है। अतिरिक्त जिला कलैक्टर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31–12–01 द्वारा विवादग्रस्त आराजी को सार्वजनिक उपयोग के काम में आना मानते हुये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16(6) के तहत नियमन योग्य नहीं मानते हुये विवादित आराजी को आवंटन/नियमन योग्य नहीं माना है। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर भरतपुर के निर्णय में ऐसी कोई विधिक एवं तात्विक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	त्रुटि नहीं थी जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत नियमन आदेश तहसीलदार के द्वारा पारित किया गया है जोकि इस हेतु सक्षम हीं नहीं थे। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह सुविचारित मत है कि राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14–1–05 से अप्रार्थीगण की द्वितीय अपील स्वीकार करने में विधिक एवं तथ्यपरक त्रुटि कारित की गई है, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। अतः हस्तगत निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत् निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर का निर्णय दिनांक 14–1–05 व तहसीलदार नदबई का नियमन आदेश दिनांक 21–4–88 निरस्त किया जाता है तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर भरतपुर का निर्णय दिनांक 14–1–05 बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली बाद फैसल शुमार, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(आर.के.जायसवाल)** **सदस्य**	

निगरानी / एलआर / 1623 / 2005 / भरतपुर
नाहरसिंह वगैरह बनाम रूपसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए